

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भालवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
262 / 2023

दायर दिनांक  
25.07.2023

निर्णय दिनांक  
26.02.2024

उनवान

1. भैरू पुत्र श्री लालू बैरवा आयु वयस्क निवासी रूपाहेली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा  
प्रार्थी

बनाम

1. देवा पुत्र श्री कालू बैरवा जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रूपाहेली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. जगनाथ पुत्र श्री प्यारा बैरवा जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रूपाहेली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. बद्री पुत्र श्री खाना बैरवा जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रूपाहेली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. हीरा पुत्र श्री देबी बैरवा जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रूपाहेली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. आशाराम पुत्र श्री हजारी बैरवा जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रूपाहेली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. रामलाल पुत्र नन्दा बैरवा जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रूपाहेली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. तारा पुत्र श्री प्रेमा बैरवा जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रूपाहेली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. भैरू लाल पुत्र श्री महादेव जाट आयु वयस्क निवासी रूपाहेली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. हरिसिंह पुत्र श्री भंवर सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी रूपाहेली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी रूपाहेली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. छीतर पुत्र श्री मांगी लाल जाट आयु वयस्क निवासी रूपाहेली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा राज0


-विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी अनिल कुमार ओझा

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा


संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रूपाहेली प0ह0 रूपाहेली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076-2079 के खाता संख्या 471 की अभिलिखित आराजियात 1349/3, 1350/2, 1351/4, 952/3, 953, 955, 956, 959, 960 कुल किता 09 कुल रकबा 1.3657 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 5 उपस्थित। विपक्षी संख्या 06 से लगायत 11 उपस्थित नहीं है। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 ने जवाब पेश नहीं किया। जवाब बन्द किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सपटित धारा 151 जा0दी0 का पेश किया। जिसे स्वीकार किया गया। प्रार्थी संशोधित टाईटल पेश करे। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काशतकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा रूपाहेली प0ह0 रूपाहेली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076-2079 के खाता संख्या 471 की अभिलिखित आराजियात 1349/3, 1350/2, 1351/4, 952/3, 953, 955, 956, 959, 960 कुल किता 09 कुल रकबा 1.3657 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा